

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. सगरत प्रमुख सचिव/सचिव/प्रशांसी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. सगरत विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्यक अमुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 05 सितम्बर, 2012

विषय: राज्याधीन लोक सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण को सम्बन्ध में।

महोदय,

"उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश) 2001" की धारा 3(7) को विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या 45 (एस/बी)/2011 विमोद प्रकाश नौटियाल व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध अन्य रिट याचिकाओं में पारित मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.07.2012 के द्वारा उक्त अधिनियम में प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था से सम्बन्धित धारा 3(7) को दिनांक 10 जुलाई, 2012 से अपास्त कर दिया गया है।

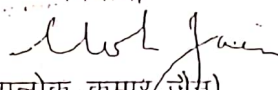
2. मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्याधीन लोक सेवाओं से सम्बन्धित विभिन्न संगठनात्मक ढाँचों में प्रोन्नति के सम्बन्धित पदों/रिक्तियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किये बिना तथा प्रोन्नति में आरक्षण हेतु शासन द्वारा पूर्व में निर्गत रोस्टर व्यवस्था को लागू किये बिना भरा जायेगा।

3. इसके अतिरिक्त शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि माह जुलाई एवं माह अगस्त, 2012 के दौरान सेवानिवृत्त हुए प्रोन्नति हेतु पात्र कर्मियों को भी 10 जुलाई, 2012 से मोशनल प्रोन्नति प्रदान की जायेगी।

4. शासन के उक्त निर्णय के फलस्वरूप प्रोन्नति की प्रक्रिया को अग्रिम आदेश तक स्थगित रखे जाने विषयक शासनादेश संख्या 686/xxx(2)/2012-55(47)/2004 टी.सी., दिनांक 19 जुलाई, 2012 निरस्त किया जाता है।

इस शासनादेश में उल्लेख किये गये निर्णय के सम्बन्ध में यदि पूर्व में निर्गत
 भी शासनादेश/व्यवस्था से असंगति आती है तो ऐसे पूर्व शासनादेश/व्यवस्था उस
 भीमा तक अतिक्रमित समझे जायेंगे।

अनुशोध है कि कृपया शासन के सर्वत निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने
 का कष्ट करें।

भवदीय,

 (आलोक कुमार जैन)
 मुख्य सचिव।

संख्या : 962/XXX(2)/2012-05(47)/2004 टी.सी./तद्विनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड को महामहिम राज्यपाल के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड को मा० अध्यक्ष, विधानसभा के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. सम्पन्न निजी सचिव, मा० मंत्रीगण को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड।
6. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
7. मण्डलायुक्त कुमायूँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
8. सम्पन्न जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड।
10. अधिशासी निदेशक, एम.आई.सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
 अपर सचिव।